

Central Goods & Services Tax Act, 2017

Section 77 : Tax wrongfully collected and paid to Central Government or State Government

- (1) A registered person who has paid the Central tax and State tax or, as the case may be, the Central tax and the Union territory tax on a transaction considered by him to be an intra-State supply, but which is subsequently held to be an inter-State supply, shall be refunded the amount of taxes so paid in such manner and subject to such conditions as may be prescribed.
 - (2) A registered person who has paid integrated tax on a transaction considered by him to be an inter-State supply, but which is subsequently held to be an intra-State supply, shall not be required to pay any interest on the amount of central tax and State tax or, as the case may be, the Central tax and the Union territory tax payable.
-

धारा 77 : गलती से संगृहीत किया गया और केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार को संदत्त किया गया कर

- (1) कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जिसने उसके द्वारा राज्य के भीतर पूर्ति समझे जाने वाले किसी संव्यवहार पर केन्द्रीय कर और संघ राज्यक्षेत्र कर संदत्त किया है किन्तु जिसे पश्चात्पूर्ति रूप से अंतर्राज्यीय पूर्ति अभिनिर्धारित किया जाता है, को इस प्रकार संदत्त रकम का ऐसी रीति में और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जो विहित की जाएं, प्रतिदाय किया जाएगा।
- (2) कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जिसने उसके द्वारा अंतर्राज्यीय पूर्ति समझे जाने वाले किसी संव्यवहार पर एकीकृत कर संदत्त किया है किन्तु जिसे पश्चात्पूर्ति रूप से राज्य के भीतर पूर्ति अभिनिर्धारित किया गया है, से, संदेय केन्द्रीय कर और राज्य कर या यथास्थिति, केन्द्रीय कर और संघ राज्यक्षेत्र कर की रकम पर ब्याज का संदाय करने की अपेक्षा नहीं होगी।